

उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिप्टी
 F.O. के अद्वितीय दिए जाते हैं तहसीलदार
 रावतभाय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रथम
 अन्तिम डिप्टी जारी की जावे। पत्रावली वास्त
 अन्तिम डिप्टी दिनांक 26/09/2023 को पेश है

S.T. 08

26/09/2023

पत्रावली पेश हुई... अधिशासक संघ द्वारा
 न्यायिक कार्य सम्पन्न कराने से
 अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
 19/10/2023 को पेश की जावे।

B.O.
 दीप

19/10/2023

पत्रावली पेश हुई... P.O. साहब रावतभाय
 में... अस्त होने के कारण
 अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
 02/11/23 को पेश की जावे।

B.O.
 दीप

02/11/2023

पत्रावली पेश हुई... P.O. साहब रावतभाय
 में... अस्त होने के कारण
 अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
 16/11/2023 को पेश की जावे।

B.O.
 दीप

16/11/2023

पत्रावली पेश हुई... P.O. सा. रावतभाय
 में... अस्त होने के कारण
 अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
 12/12/23 को पेश की जावे।

B.O.
 दीप

12/12/2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील प्रेमचंद रावतभाय
 उपस्थित। तहसीलदार रावतभाय के द्वारा प्रस्ताव
 प्रस्ताव के आधार पर वकील का वाद रकीकार कर
 अन्तिम डिप्टी किया जाता है निर्णय प्रथम के
 खिन्नामा जाकर कुले न्यायालय की खलास में पुर्ण
 गया। तदनुसार डिप्टी जारी है। पत्रावली फेसल शुमार
 होकर दर्ज रजिस्टर के काम की जाकर शामिल करा है।

उपखण्ड अधिकारी
 रावतभाटा (चिचोडगढ)